

एफ. सं. जे-11019/3/2024-न्यायिक

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग  
(न्यायिक अनुभाग)

\*\*\*\*

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
दिनांक 10 जुलाई 2024

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय: विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा नियुक्त विधि अधिकारियों/पैनल काउन्सेलों द्वारा सिविल एवं सेवा मामलों पर दिल्ली पुलिस की मुकदमेबाजी का संचालन - के संबंध में

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से संबंधित सिविल और सेवा मुकदमों के संचालन की समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में ऐसे मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधि कार्य विभाग द्वारा नियुक्त विधि अधिकारियों या पैनल काउन्सेलों को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अब से, विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में सिविल और सेवा मामलों से संबंधित दिल्ली पुलिस के मुकदमे इस विभाग के विधि अधिकारी/पैनल काउन्सेल द्वारा संचालित किये जाएंगे। इन मामलों के लिए काउन्सेलों की नियुक्ति की जिम्मेदारी विभाग के दिनांक 21.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-12017/1/2019-न्यायिक में निर्दिष्ट, प्रभारी मुकदमा की होगी।

3. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।



(शेर सिंह डागर)

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

**सेवा में:**

1. प्रभारी, केंद्रीय एजेंसी अनुभाग, नई दिल्ली ।
2. प्रभारी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बेंगलुरु शाखा सचिवालय।
3. प्रभारी, मुकदमा (उच्च न्यायालय/कैट/ निचला न्यायालय) अनुभाग, नई दिल्ली।
4. उच्च न्यायालयों में सभी अपर एस जी आई।
5. उच्च न्यायालयों के सभी उप एस जी आई।
6. कैट बेंच में सभी वरिष्ठ सी जी एस सी।

फ़ा. सं. जे-11019/3/2024-न्यायिक

दिनांक : 10.07.2024

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थः

1. सचिव, गृह मंत्रालय, फ़ा. संख्या 14040/41/2024-यूटीपी.॥(भाग) के संदर्भ में।
2. विधि सचिव के पीएसओ /सभी अपर सचिव/ विधि कार्य विभाग के मुख्य सचिवालय में सभी संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार ।
3. इसकी एक प्रति इस विभाग की वेबसाइट पर 'न्यायिक अनुभाग' टैब के अंतर्गत 'मुकदमेबाजी से संबंधित परिपत्र' लिंक पर अपलोड की जानी है।
4. अतिरिक्त प्रतियां.

कुमार गौरव  
10.07.24

(कुमार गौरव)

अनुभाग अधिकारी (न्यायिक)

टेलीफोन- 011-23384945

ई-मेल: judicial-dla@nic.in